No. 28-RA/199/IV/824.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required to be taken by Government, at public expense, for a public purpose namely, constructing a road from Extension Lohat App. Road in Rohtak District, it is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 30 days of the publication of this notification, file an objection in writing before the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Rohtak :—

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality	Area in acres	Remarks
Rohtak	Bahadurgarh 76	Lohat, H. B. No.	1.11 Total D/E	length 1312' consolidation path 33' acquired $\frac{37'}{70'}$ $\frac{2}{24, 25/1, 25/2}$, $\frac{3}{21}$, $\frac{7}{3, 4/1, 4/2, 5}$ $\frac{7}{7, 8, 9, 11/1, 12}$, path-74
		Total	1.11	

The 20th February, 1987

No. 28-RA/199/VI/780.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land below is needed by the Government at public expense, for a public purpose namely constructing a road from Talao to Gawalison, District Rohtak. It is, therefore, hereby declared that the land described in the specification below, is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provision of section-7 of the said Act, the District Revenue-Officer-cum-Land Acquisition Collector, Rohtak is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the offices of the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Rohtak and Executive Engineer, Provincial Division, Jhajjar.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/ Village & Hadbast	Area in Acres	Rectangle/Killa No.
Rohtak	Jhajjar	Talao, H.B. No. 112	1.76	$\frac{55}{20, 21}$,

District	Tehsil	Locality/ Village & Hadbast	Area in Acres	Recangle/Killa No.
Rohtak	Jhajjar	Talao, H. B. No. 112—*concld*		56 16, 17, 22, 23/1, 23/2, 24/1, 56 24/2, 24/3, 25, 78 6, 14, 15, 16, 17, 79 1, 2, 3/1, 3/2/1, 3/2/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 79 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1 170 172, 184, 203

(Sd.) . . .,
Superintending Engineer,
Rohtak Circle, P.W.D., B. & R. Branch,
Rohtak.

श्रम तथा रोजगार विभाग

दिनांक 4 फरवरी, 1987

क्रमांक.--10(371) 78-5 श्रम.--दिनांक 3 अप्रैल, 1984 हरियाणा सरकार के गजट दिनांक 17 अप्रैल, 1984 में प्रकाशित की गई थी। इस के प्रकाशन से 6 मास की अवधि व्यतीत हो चुकी है।

2. इस लिए अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 1 की उप धारा (5) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेखित स्थापनाओं के वर्गों के बारे दिनांक 14 नवम्बर, 1986 मध्य रात्री दिनांक 15 नवम्बर, 1986 से उक्त अधिनियम के उपबन्ध को लागू करने के आदेश देते हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापना का वर्णन	क्षेत्र जहां पर स्थापना स्थित है राजस्व ग्राम	हदबस्त नं०
1	2	3	
1.	कोई परिसर और उस की सीमाएं जहां पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन दस अथवा दस से अधिक व्यक्ति लेकिन बीस से कम व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित हों अथवा नियोजित रहे थे और जिसके किसी भी भाग में उत्पादन (मैनयूफैक्चरिंग) प्रतिक्रिया में शक्ति का प्रयोग हो रहा हो अथवा फैक्टरी साधारणतः शक्ति से चलाई जाती हो लेकिन खान अधिनियम, 1952	लिबासपुर, जिला सोनीपत	74

1	2	3
	(1952 का 33) के अंतर्गत खानें अथवा रेल रनिंग शैड या कोई ऐसी स्थापना शामिल नहीं है, जो पूर्णत: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 2 के खण्ड 12 में उल्लेखित किसी एक अथवा उत्पादन प्रतिक्रिया में लगी हो।	
2.	कोई परिसर और उस की सीमाएं जहां पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन बीस अथवा बीस से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हों अथवा नियोजित रहे थे और जिस के किसी भी भाग में उत्पादन प्रतिक्रिया में शक्ति का प्रयोग नहीं होती है अथवा फैक्टरी साधारणत: बिना शक्ति की सहायता से चलाई जाती है लेकिन खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के तहत खानें अथवा रेलवे रनिंग शैड या कोई ऐसी स्थापना शामिल नहीं है जो पूर्णत: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 2 के खण्ड में उल्लेखित किसी एक अथवा अधिक	जैसा कि ऊपर कहा गया है।
3.	निम्नलिखित संस्थापनायें जिन में पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन बीस अथवा बीस से अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हों अथवा नियोजित रहे थे :—	जैसा कि ऊपर कहा गया है।
1.	सिनेमा और पर्व दर्शन थियेटर	
2.	होटल और रेस्तरां	
3.	दुकानें	
4.	सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं	
5.	श्रम जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955) (1956 का 45) की धारा 2 (घ) में यथापरिभाषित समाचार पत्र स्थापनाएं।	

कुलवन्त सिंह,
विशायक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम एवं रोजगार विभाग।